

कार्यालय.

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1090-SRC NURSING AND PARAMEDICAL INSTITUTE VILL-RASOOLPUR POST-MAGORRA, MATHURA-281001			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60
2	P.G. DIPLOMA IN ACCOUNTACY (WITH COMPUTERISED ACCOUNTS & TAXATION)	0	0
3	DIPLOMA IN MASS COMMUNICATION	0	0
4	HOME SCIENCE	0	0
5	P.G.DIPLOMA IN TOURISM AND TRAVEL MANAGEMENT	0	0
6	MODERN OFFICE MANAGEMENT AND SECRETERIAL PRACTICE	0	0

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मैसी पाठ्यक्रम हेतु रू०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मैसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मैसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मैसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास

शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।

- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

दिनांक: 09/08/2021

पृ0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, SRC NURSING AND PARAMEDICAL INSTITUTE VILL-RASOOLPUR POST-MAGORRA, MATHURA-281001



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

**कार्यालय,
समिप, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश अधिनियम।**

संख्या- प्राविण/परिषद सम्बद्धता/2020/187।

लक्षणक दिनांक 15-9-2020

-कार्यालय धाप-

अधिकार मन्त्रीय सहायकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्यवाही कार्यालय जीव इम्पियल, नई दिल्ली द्वारा दिनांक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2020 अधिनियम से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-9-2020 को अधिसूचना प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2020 अधिनियम की अधिकाता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संघटित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मनों पर विचार करती हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त को अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक को सद-3 में डिप्लोमा इन कार्पेरी पाठ्यक्रम-संघटित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकल्प रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

"निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन कार्पेरी पाठ्यक्रम संघटित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2020 अधिनियम से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीठरीआर्इड द्वारा चर्चे अधिका अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीठरीआर्इड द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनकी नाम के सम्मुख अधिकार पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं कार्यसमिति से पीठरीआर्इड द्वारा बदला अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-09-2020 को आयुक्त सम्बद्धता समिति की बैठक में जिनके पूर्व कार्यालय निर्णय के अनुक्रम में निम्न संख्या की प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2020 अधिनियम द्वारा सत्र 2020-21 हेतु गिनांकित शाही के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीठरीआर्इड द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पीठरीआर्इड /परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	1000	एम्प्लोयर्स एंड रिसर्चिजल इन्स्टीट्यूट, दिल्ली- न्युजपुर, पी- सैफा, न्युजपुर	डिप्लोमा इन कार्पेरी	60	60

सम्बद्धता हेतु शाही

- ✓ संस्था 1000/इम्प्लोयर्स एंड रिसर्चिजल इन्स्टीट्यूट द्वारा निर्दिष्ट की गयी शाही का पूर्णतः वाजन करेगी।
- ✓ संस्था द्वारा प्रवेश क्षमता प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद गिनिकाकारी 1982 संघटित गिनिकाकारी-2018 तथा अन्य गिनित गिनिकों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क गिनिकाकारी समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इन्स्टीट्यूट पाठ्यक्रमों हेतु ₹ 20,100.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्पेरी पाठ्यक्रम हेतु ₹ 20,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्पेरी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹ 22,000.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रामाणिक धाप/घात्रा से माना किया जायेगा। अतिरिक्त दो अतिरिक्त धाप/घात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समझ-बूझ पर सावधान ध्यान निर्मित किये जाने वाले कार्यादेश प्रकाश की, और तत्पुत्रान्त कार्यालयी किये



जाना आवश्यक होगा। बीस निरीक्षण समिति द्वारा यदि वर्ष 2020-21 हेतु बीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो बीस की नवीनीकरण दे देना होगा।

- ✓ संस्था को प्रत्येक प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संभाषणों को संकट किया जाना अनिवार्य-2020 की पूर्ण का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित कक्षाओं को ही प्रवेश दिया जाएगा। छात्रों को प्रवेश दे जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनप्रेषक के अनुसार निर्देशन एवं सन्देशों शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एम्प्लॉयमेंट/विनियमन से आगामी वर्ष हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बताने वाले विधि/विनियम/अधिनियमों/शासनप्रेषकों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उच्च, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 2020 तथा प्राथमिक शिक्षा समिति, 2020 द्वारा संशुद्ध एवं विनियम, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के विधि बंधन होगी।
- ✓ किन्तु इन कानूनी प्रावधानों को संकट यदि दोसी/आई. एंड. विनियमों से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संस्था में समस्त प्रशासनिक कार्य का होगा और विधि का से मिली भी कार्यवाही के लिए प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत होगी। प्राथमिक शिक्षा समिति, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशक एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग प्रमुख प्रवेश शासन को प्रेषित कर बाजार किया जाता है तथा दाखल कर के संबंध में वह आवश्यकता द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी कार्यकाल निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित कार्य को करने होगी।
- ✓ किन्तु इन कानूनी प्रावधानों को संकट करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु आयोजित प्राप्त होने के पूर्व प्रतिक्रिया से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यवाही को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनुरोध नहीं प्रेषित की (कार्यवाही के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रेषित) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनीकरण आदेशों विनियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, राज-संस्था, प्रशासन, प्राप्त किया जाने बाजार शुल्क, आकांक्षा शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-अभियान हेतु संयुक्त शासनप्रेषक प्रस्तुत करने के लिए पैरिश रोकने के समस्त में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था पर सुनिश्चित ही है कि संस्था में प्रस्तावित/संशोधित प्रावधानों को प्रस्तावित होने हेतु निर्देशन समिति के प्रत्येक प्रस्ताव संबंधी परीक्षा, पुनः-प्राप्त, कानून, शासनप्रेषक आदि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य प्रावधान के संशोधन में प्रयोग किया जाता है बीस समिति को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था प्रस्ताव का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो शासन संस्था की सन्देशों समस्त विधि प्राप्त की अनुमति की जाएगी।
- ✓ सन्देशों प्राप्त का अनुपालन न किये जाने कथम प्राप्ति का उत्तराधिकारी किये जाने की स्थिति में शासनप्रेषक अनुशासनप्रेषक कार्यवाही की जाएगी।

(रवि आशंका सिंह)
सचिव

पुस्तक- प्राथमिक/परिषद सन्देश/2020/ 1972-2121 तारीख- 15-09-2020
प्राथमिक- प्रशासनिक/निदेशक, एम्प्लॉयमेंट/विनियमन इन्स्टीट्यूट, विलेज- रायपुर, पीठ- मनेर, मुरा।

(रवि आशंका सिंह)
सचिव

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राशा/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

अवधक दिनांक 18-8-2018

->कार्यालय ड्राफ-<

व्यक्ति भारतीय उपमहादीप शिक्षा परिषद द्वारा वार्षिक वर्ष 2018-20 हेतु किलोना सार्वीय सामाजिक शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2018 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक आयोजित हुई। बैठक में वर्ष 2018-20 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संबंधित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि/कमी हेतु वर्ष 2018-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त से अनुक्रम में सम्बद्धता समिती की बैठक में नं-17 में किलोना इन फार्मसी व्यवसाय संस्थानित करने वाली नई संस्था का प्रवेशण रद्द गया। सम्बद्धता समिती द्वारा गठन विचार-विमर्श का सिन्धुता निर्णय लिया गया।-

ऐसी नवस्थापित किलोना इन फार्मसी संस्थाएं जिन्हें सत्र 2019-20 हेतु ए0आइ0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, परंतु पी0सी0आई0 द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है, एवं परिषद की निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षणोपरान्त ए0आइ0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों को अनुरूप सत्र 2019-20 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी है, के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि ऐसी संस्थाओं को पी0सी0आई0 अनुमोदन पत्र प्राप्त हो जाने के उपरांत प्रथम वर्ष में प्रवेश के संबंध में बैठक आयोजित रूप ली जाये जिससे संबंधित संस्थाओं को संशुद्ध प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग में सम्मिलित कराया जा सके।

आत निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की निरीक्षण समिति एवं विचार-विमर्श द्वारा की गयी संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा किये गये निर्णय के अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नांकित कमी से कर्तव्य पाठ्यक्रम एवं कमी अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है।-

क्र. सं.	नामा संस्था	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आइ0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2018-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1.	कमा	ए0आइ0सी0टी0ई0 सार्वीय नए पत्रासिद्धता इन्फो विमर्श-समुदाय के-सार्वीय नए-समाज	किलोना इन फार्मसी	५५	५५

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आइ0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तें का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1983 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992 तथा अन्य विनियम नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा कृपया विद्यमान समिति द्वारा निर्धारित शुल्क एंव कमी अंकित पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 आ0आइ0आई0/- प्रतिवर्ष से वरीय कर्मीय पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 48,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एंव तथा दो वरीय पाठ्यक्रमों (दो वरीय कर्मीय पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त) हेतु ₹0- 22,000.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/भारता से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त

के अतिरिक्त डाक/साध्यों से कुल के संकेत में समय-समय पर प्रारम्भ द्वारा निर्गत किये जाने वाले सामान्यतया अवधी होने और अनुसूचित कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। पीछे निर्धारित समिति द्वारा यदि वर्ष 2019-20 हेतु पीछे का पूर्वनिर्धारण किया जाता है, तो पीछे की परीक्षाएं ही लागू होंगी।

- ✓ संस्था को विच्छेद/अधिवेशित शिक्षा समितियों तथा उन समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध शिक्षा जनों/विद्यार्थियों-2020 की कार्यवाही अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में अनुसूचित प्रवेश ज्योधा परीक्षा द्वारा आवेदन करने की ही प्रवेश किया जायेगा। शीटों को शिक्षा के जाने की तिथि से पहले प्रवेश प्रारम्भ के निर्दिष्टानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को शाला-समय से निर्गत सम्बन्धित के अनुसार निर्दिष्ट एवं सम्बद्धता सुलभ काम करना होगा।
- ✓ संस्था को सम्बन्धित/अधीनस्थ के बाध्यता यह हेतु अनुसूचित प्राप्त किया जाता आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था जलन प्रवेश प्रारम्भ द्वारा अन्यो-चर्चा विधि/विधि/अधिवेशनी/सामान्यतया/शिष्टो एवं निदेशक, अधिवेशित शिक्षा, उद्योग, संशुद्धि प्रवेश परीक्षा परिषद, उद्योग तथा अधिवेशित शिक्षा परिषद, उद्योग द्वारा अन्यो एवं निदेशक, विद्यार्थी, आदेश, निर्देशों का पालन करने से निरर्थक प्राप्त होगी।
- ✓ किराया इन कार्यवाही पर्यवसान की सम्बद्ध बांधे भी/बी/आई एवं दिवसी से अनुसूचित प्राप्त करने में आवश्यक नहीं है तो इस संबंध में सामान्य कार्यवाही-संकेत का होगा और विधिक रूप से किसी को कार्यवाही की किम संस्था अपने उद्योगदायी होगी। अधिवेशित शिक्षा परिषद, संशुद्धि प्रवेश परीक्षा परिषद, अधिवेशित शिक्षा-निदेशक एवं अधिवेशित शिक्षा विभाग उद्योग प्रवेश प्रारम्भ से कोई बात प्रारम्भ किया जाता है तथा शाला प्राप्त के संबंध में वा-व्यापार्य द्वारा किसी प्रकार की प्रतिभूति संबंधी कार्यवाही निरर्थक किया जाता है तो सामान्य प्रतिभूति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ किराया इन कार्यवाही पर्यवसान संबंधित करने वाली संस्थाओं को अनुसूचित प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रारम्भ प्रवेश पर्यवसान द्वारा प्रवेश करने से निरर्थक कार्यवाही प्रवेश परीक्षा हेतु अनुसूचित प्राप्त होने के पूर्व विद्यार्थी/अधीनस्थ से अनुसूचित प्राप्त एवं प्रवेश प्रारम्भ को उपलब्ध कराना होगा। अन्यथा करने प्रवेश की कार्यवाही/विधि के सम्बन्ध में सम्बद्ध संस्था का प्रवेश प्रवेश अनुसूचित नहीं प्रारम्भ की जायेगी।
- ✓ प्रवेश प्रवेश प्रारम्भ द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत सम्बन्धित कार्यवाही विधियों का अनुपालन प्रारम्भ आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने विच्छेद पर संस्था की समस्त सुरक्षा/सेवा संस्था की ऐतिहासिक सुविधियों, कार्य, कार्य-करना, सम्बन्ध प्रारम्भ किया जाने वाला सुलभ, आवश्यक सुलभ यदि वा विद्यार्थी उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षा-व्यवस्था हेतु अनुसूचित प्राप्ति/सम्बन्ध कराने को सम्बन्धित प्रारम्भ प्रवेश प्रवेश के सम्बन्ध में प्रारम्भ आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में उद्योगित/समाहित पर्यवसान को लक्ष्य करने हेतु निर्दिष्ट समिति के समस्त उपलब्ध करावे एवं अधिवेशित, प्रति-प्रारम्भ, अधिवेशित, उद्योग्य द्वारा ही का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य प्राप्ति/सम्बन्ध को सम्बन्धित में प्रवेश किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था प्रवेश प्रवेश का प्रवेश प्रवेश प्रवेश प्रवेश प्रवेश प्रवेश प्रवेश प्रवेश की सम्बन्धित सम्बन्धित किये जाने की अनुसूचित की जायेगी।
- ✓ सम्बन्धित शीट का अनुपालन से किये जाने उपलब्ध करनी का प्रारम्भ किये जाने की तिथि से निरन्तरानुसूचित अनुसूचित/सामान्य कार्यवाही की जायेगी।

(संजीव कुमार मिश्र)
सरिंग

पृष्ठ सं- अधिवेशित/अधीनस्थ सम्बन्धिता/2019/5133-2222

दिनांक- 15-8-2019

प्रीति/विधि-प्रधानाचार्य/निदेशक, (एडुअफार्मिड) सरिंग एनड रिहायिकल इन्स्टीट्यूट, विन्नेक-188292,
वेद-मंगोरी, त्रारु-201001

(संजीव कुमार मिश्र)
सरिंग